राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 123/2019

मालाराम पुत्र मूलाराम उम्र 68 वर्ष जाति गुर्जर निवासी टीबा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. बजरंग सिंह पुत्र केशरमल
2. हरीसिंह पुत्र केशरमल
   जाति गुर्जर निवासी टीबा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 जरिये शाखा प्रबंधक।
4. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती

खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :– दिनांक 28–10–2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16–08–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम टीबा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 301 खसरा नंबर 356 रकबा 0.08 है. में से 0.0150 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार वादी का 0.0150 है. भूमि का खाता अलग से कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खसरा नंबर 356 रकबा 0.08 है. में 0.0150 है. भूमि पर वादी के कब्जे काश्म में किसी प्रकार से बाधा कारित नहीं करें तथा ना ही किसी अन्य को बेचान, रहन या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करें। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तह[illegible] (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/4038 दिनांक [illegible] के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–09–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–09–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:24 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

मालाराम

ब–ना–म

बजरंग सिंह आदि

दावा बाबत **घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **123/2019**

निर्णय दिनांक :– **28–10–2022**

वादी की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **28–10–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–6" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–09–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–6" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **28–10–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:24 IST
Reason: SelfAttested